संख्या 27/02/2012-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून

विषय: श्री रिफाकत खान, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, ज़िला होम गार्ड कार्यालय, उद्धम सिंह नगर के उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन अनुरोध पर विचार ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बेठक में श्री रिफाकत खान, चौकीदार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया गया । बैठक में प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री रिफाकत खान एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक है एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी तथा विकल्पधारी है । अतः समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 02-11-2007 के आधार पर श्री रिफाकत खान, चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटित किए जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री रिफाकत खान, चौकीदार का राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
25 SEP 2012

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि:

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधान्शु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

O/c